न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर, जिला–शहडोल (म0प्र0)
जमानत आवेदन क्र0 72/2022

1– बुद्धसेन पिता जयलाल सिंह गोंड 2– देशराज सिंह पिता बुद्धसेन सिंह गोंड दोनों निवासी ग्राम गिरूईबड़ी, थाना व तहसील जयसिंहनगर, जिला–शहडोल (म0प्र0)	**आवेदक/अभियुक्तगण**
// ब ना म //	
म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र जयसिंहनगर, जिला–शहडोल (म0प्र0)	**अभियोजन**

15/10/2022

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से श्री मनोज त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक राज्य की ओर से श्री सी.पी. मिश्रा अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

थाना जयसिंहनगर से अपराध कमांक 541/22 अन्तर्गत धारा 452, 294, 323, 324, 325, 506, 34 भा.द.वि. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर (श्री राम अचल पाल) से रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से राजबहादुर पिता बुद्धू सिंह गोंड उम्र 40 वर्ष, निवासी कौआसरई थाना व तहसील जयसिंहनगर, जिला–शहडोल (म0प्र0) द्वारा जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत **धारा–439 द0प्र0सं0** के समर्थन में शपथ–पत्र पेश किया गया है। शपथ–पत्र है कि आवेदक/अभियुक्त बुद्धसेन उसका जीजा एवं अभियुक्त देशराज सिंह उसका भांजा है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत आवेदन–पत्र है। समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का कोई जमानत आवेदन न तो प्रस्तुत है और न ही लंबित है, न ही निराकृत हुआ है।

अभियोजन की ओर से आवेदकगण द्वारा कहे गये प्रथम जमानत आवेदन पत्र होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः केस डायरी के अवलोकन और प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र पाता हूँ।

आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।

संक्षिप्त में आवेदन है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वे पूर्णतः निर्दोष हैं। बल्कि वास्तविकता यह है कि फरियादिया के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। आवेदक कमांक 2 कुंए के पास बैठा था, तब फरियादिया का पति गाली–गलौच करते हुए बोला कि साले गांव में राजनीति करते हो, मेरे खिलाफ सरपंच को भड़काते हो, तुम्हारी वजह से मेरा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है, तब उसने गाली–गलौच करने से मना

किया, तब फरियादिया का पति उसके साथ मारपीट करने लगा। तब अभियुक्त क्रमांक 1 आकर बीच–बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट अभियुक्त क्रमांक 1 द्व ारा थाना जयसिंहनगर में की गई थी। उक्त रिपोर्ट से बचने के लिए फरियादिया ने अभियुक्तगण के विरूद्ध मिथ्या रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई है। उनके विरूद्ध आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं। उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। अभियुक्तगण स्थाई निवासी हैं, उनके भागने या फरार होने की सम्भावना नहीं है, वे जमानत की शर्तों का अक्षरशः पालन करेंगे। अतः उन्हें जमानत पर छोड़ा जाये।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में है कि फरियादिया ने दिनांक 04/10/22 को थाने पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादी व अभियुक्तगण के मध्य पिछले एक साल से जमीनी रंजिश है। उक्त जमीनी रंजिश को लेकर घटना दिनांक 04/10/22 को करीब 2:00 बजे दिन में बुद्धसेन सिंह गोंड हाथ में टांगी लिये व उसका लड़का देशराज सिंह हाथ में डंडा लेकर आए और मादरचोद, बहनचोद की गंदी–गंदी गाली देते हुए उसके घर के अन्दर आंगन में घुस आये और बोले कि मादरचोदों यहां से निकलो, यह हमारी जमीन है, मैं नाप करवा लुंगा। तब फरियादिया के पति बोले कि तुम नाप करवा लो, तुम्हारी जमीन होगी, तो मैं छोड़ दूंगा। इतने में अभियुक्त बुद्धसेन सिंह गोंड हाथ में रखे टांगी से उसके पति के सिर में मारा, जो माथे में सामने तरफ लगी, जिससे खून बहने लगा तथा अभियुक्त देशराज सिंह हाथ में रखे डंडे से पीठ में मारने लगा। हल्ला–गोहार पर पड़ोस की सुशीला सिंह, ओमबाई सिंह, मीना सिंह आकर बीच–बचाव किये। बीच–बचाव करते समय एक डंडा देशराज सिंह उसके पीठ में मारा, जिससे उसके पीठ में दर्द है। दोनों यह धमकी देते हुए कि मादरचोद यदि मेरी जमीन खानी नहीं करेगा, तो दोबारा कहीं अकेले पायेंगे, तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और जंगल तरफ चले गये। उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 541/22 धारा 452, 323, 324, 506, 34 भा.द.वि पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 325 भा.द.वि बढ़ाई गई। दिनांक 11/10/22 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल ब्यौहारी में निरूद्ध किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में आहत रामलाल सिंह गोंड की एक्स–रे रिपोर्ट अनुसार स्कल बोन में अस्थि भंग कारित होना बताया गया है और आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है, अभियुक्त दिनांक 11/10/2022 से न्यायिक निरोध में हैं। प्रकरण के विचारण में विलम्ब लगना संभावित है। उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि व आपराधिक रिकॉर्ड भी अभिलेख पर नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुण–दोषों पर टीका टिप्पणी के बिना इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है। अस्तु उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्तगण जमानत पर मुक्त होकर फरार नहीं होगे, अनुसंधान व विचारण कार्यवाही में सहयोग करेंगे, साक्ष्य प्रभावित नहीं

करेंगे, प्रत्येक पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। इस हेतु संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की संतुष्टि योग्य 25,000–25,000/– रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश करें, तो थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक 541/2022 धारा 452, 294, 323, 324, 325, 506, 34 भा.द.वि. में अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण की केस डायरी आदेश की प्रति के साथ संबंधित आरक्षी केन्द्र को वापस की जावे और रिमाण्ड पत्रावली मय आदेश की प्रति के साथ संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयसिंहनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर अभिलेख अभिलेखागार में नियत अवधि में जमा किया जावें।

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
अपर सत्र न्यायाधीश, जयसिंहनगर
जिला–शहडोल (म0प्र0)

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– श्री राम अचल पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम–श्रेणी जयसिंहनगर, जिला शहडोल की ओर आदेश की प्रति मय रिमाण्ड पत्रावली सूचनार्थ, पालनार्थ प्रेषित।

2– थाना प्रभारी जयसिंहनगर की ओर आदेश की प्रति मय केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रहलाद सिंह कैमेथिया)
अपर सत्र न्यायाधीश, जयसिंहनगर
जिला–शहडोल (म0प्र0)